

आदेश

प्राथी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 व संपठित धारा 128 राजस्थान तैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम जोधा का बास के भूमि खसरा 724 / 463 रकबा 0.10 है. खसरा नम्बर 725 / 463 रकबा 3.01 है., खसरा नं0 461 रकबा 1.46 है0 व खसरा नं0 462 रकबा 1.48 है0 की प्राथी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्ममक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.10.2025 के अनुसार नियमानुसार शुल्क लिया जाकर पत्थगढी की जावें। दौराने पत्थगढी/किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।



निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में

(डा0 नरेश खानी)

उप-आयुक्त अधिकारी
सुप-आयुक्त अधिकारी
चिड़ावा जिला, झुन्झुन (राज.)